

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : स. 3(5)(2)स्था./मंत्रा/अभि./16/ 151-80

जयपुर, दिनांक 25.06.2020


आदेश

गृह (ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 27 (1) गृह-2/2019 दिनांक 16.08.2019 के क्रम में गृह (ग्रुप-10) के आदेश प.9 (2) पद सृजन/गृह-10/2019 दिनांक 24.06.2020 के द्वारा नवसृजित पुलिस जिला भिवाड़ी में अभियोजन विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सहायक निदेशक अभियोजन, भिवाड़ी के कार्यालय के क्षेत्राधिकारी का विभाजन कर सहायक निदेशक अभियोजन, अलवर व भिवाड़ी के कार्यालय हेतु पदों का विभाजन किया गया है।

उक्त आदेश की पालना में वर्तमान में अलवर में पदस्थापित निम्न मंत्रालयिक कर्मचारी का पदस्थापन नव सृजित पुलिस जिला भिवाड़ी में सहायक निदेशक अभियोजन, भिवाड़ी के अधीन किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद
1.	श्री कजोड़मल मीणा	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
2.	श्री गिरिराज प्रसाद मीणा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी
3.	श्री नवल किशोर शर्मा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी
4.	श्री रिकू सैनी पुत्र श्री सीताराम	वरिष्ठ सहायक
5.	श्री राजकुमार पुत्र श्री धर्मपाल	वरिष्ठ सहायक
6.	श्री करण सिंह यादव पुत्र श्री प्यारेलाल यादव	वरिष्ठ सहायक
7.	श्री धर्म सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह	वरिष्ठ सहायक
8.	श्रीमती सुनीता पत्नी स्व० श्री ऋषि कुमार	वरिष्ठ सहायक
9.	श्री जितेन्द्र कुमार	कनिष्ठ सहायक
10.	श्रीमती अनिता शर्मा	कनिष्ठ सहायक
11.	श्री सुनील मीना	कनिष्ठ सहायक
12.	सुश्री रूबि शर्मा	कनिष्ठ सहायक
13.	श्री अनिल कुमार	कनिष्ठ सहायक
14.	श्री अंकित शर्मा	कनिष्ठ सहायक
15.	श्री अनिल कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद
16.	श्री आकाश शर्मा	कनिष्ठ सहायक
17.	श्री अनिल कुमार सेनी	कनिष्ठ सहायक
18.	श्री आसम	कनिष्ठ सहायक
19.	श्री राजीव गुप्ता	कनिष्ठ सहायक
20.	श्री धर्मचंद पुत्र श्री शिवलाल	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
21.	श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व. श्री दौलतराम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
22.	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री दौलतराम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
23.	श्री नन्दलाल जाटव पुत्र श्री मदनलाल जाटव	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
24.	श्री गौरव कुमार शर्मा पुत्र श्री सुरेश चन्द शर्मा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी


 (पी.सी. बेरवाल)
 निदेशक अभियोजन,
 राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)।
2. अतिरिक्त निदेशक, न्याय/अभियोजन।
3. उप/सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर, द्वितीय/अलवर/भिवाड़ी।
4. संबंधित कर्मचारी श्री -----।
5. संस्थापन शाखा (मंत्रालयिक)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।


 निदेशक अभियोजन,
 राजस्थान, जयपुर